

दिनांक 19.10.2022 को मुख्य विकास अधिकारी महोदया, लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत कार्यरत जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (मेसर्स आर.वी.एसोसिएट्स), थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन (मेसर्स सेन्सिस टेक लि.) तथा आई.एस.ए. के कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 19.10.2022 को मुख्य विकास अधिकारी महोदया, लखनऊ की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों एवं जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संस्था के प्रतिनिधियों की उपस्थिति का विवरण निम्नवत है:-

1. श्री अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री दिनेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री विवेक सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. श्री अवधेश कुमार, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री अभिषेक मिश्रा, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री शशांक शेखर रथ, जी.आई.एस. एक्सपर्ट, डी.पी.एम.यू., लखनऊ।
8. श्री सुमित भटनागर, कोआर्डिनेटर-सी.बी. एण्ड टी., डी.पी.एम.यू., लखनऊ।
9. श्री सुजीत सिंह, टीम लीडर, मेसर्स सेन्सिस टेक लि०।
10. श्री प्रवीन ठाकरे, डिप्टी टीम लीडर, मेसर्स सेन्सिस टेक लि०।
11. आई.एस.ए., नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेन्ट स्टडीज एण्ड एक्शन सत्या, जयपुर के प्रतिनिधि।
12. आई.एस.ए., हिन्दू मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, लखनऊ के प्रतिनिधि।
13. आई.एस.ए., पी.एस. सेवा समिति, लखनऊ के प्रतिनिधि।
14. आई.एस.ए., एस.पी. ग्राम्य विकास एवं ग्रामोद्योग संस्थान, लखनऊ के प्रतिनिधि।
15. आई.एस.ए., नव दुर्गा सेवा संस्थान, लखनऊ के प्रतिनिधि।

समीक्षा बैठक की कार्यवाही निम्नवत है:-

बैठक में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा बताया गया कि आई.एस.ए. के कार्य 03 चरणों में कराये जाने हैं, प्रथम चरण में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन, बेसलाइन डाटा का सत्यापन, ग्राम एक्शन प्लान इत्यादि से सम्बन्धित कार्य कराये जाने हैं। जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.) के कार्यों के विषय में बताया गया कि कराये जा रहे कार्यों की भौतिक व वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट, परियोजना का समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु प्लानिंग, जियो टैगिंग सम्बन्धी कार्यवाही तथा आई.एस.ए. को सपोर्ट सम्बन्धी कार्यवाही डी.पी.एम.यू. के माध्यम से की जायेगी। थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन (टी.पी.आई.) के विषय में बताया गया कि कार्यों की गुणवत्ता की जांच, कार्यस्थल पर कार्यों की जांच एवं बिल जांच का कार्य टी.पी.आई. द्वारा कराया जाना है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, लखनऊ के द्वारा तत्समय संस्था के सम्बन्धित प्रतिनिधियों को समयानुसार कार्यवाही पूर्ण कराने निर्देश दिये गये।

2- बैठक में आई.एस.ए. के कार्यों की समीक्षा के दौरान वी.ए.पी. से सम्बन्धित जानकारी अपूर्ण पायी गयी। आई.एस.ए. को तत्समय निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार वी.डब्ल्यू. एस.सी. एवं वी.ए.पी. सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण करायें तथा जिन पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति की जा रही है उनमें पेयजल गृह संयोजनधारकों से प्रतिमाह यूजर चार्ज वसूल कर वी.डब्ल्यू.एस.सी. के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, लखनऊ द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनको सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें तथा गृह संयोजनधारकों को दिये गये हर घर के कनेक्शनों की सूची

उपलब्ध कराये।

3- बैठक में टी.पी.आई. के कार्यों की समीक्षा के दौरान टीम लीडर, टी.पी.आई. के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदया को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जिन गृह पेयजल संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है, जिन स्थलों पर जलापूर्ति नहीं की जा रही है तथा केवल MDPE पाइप से ही गृह संयोजन है, का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदया के द्वारा टी.पी.आई. को निर्देश दिये गये कि कार्यों की गुणवत्ता से सम्बन्धित आज तक जो भी पत्राचार किये गये हैं उसका संकलन तैयार कराकर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराये साथ ही अपने अनुबन्धों के अनुसार कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी महोदया के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ को निर्देशित किया गया कि टी.पी.आई. द्वारा दिये गये गुणवत्ता पत्र का संकलन का अवलोकन कर ठेकेदार (एन.सी.सी.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

4- डी.पी.एम.यू. की समीक्षा के दौरान जी.आई.एस. एक्सपर्ट द्वारा बताया गया कि वर्तमान में उनके द्वारा केवल FHTC की मॉनिटरिंग एवं पोर्टल Updation का कार्य किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित DPMU से उनके अनुबन्ध के अनुसार कार्य कराया जाये। DPMU को निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में Presentation देना सुनिश्चित करें तथा पूर्ण योजनाओं की संयुक्त जांच के उपरान्त ही FHTC की रिपोर्ट आईएमआईएस पोर्टल पर अपलोड की जाये।

5- जल निगम, DPMU, TPI तथा ISA को संयुक्त निर्देश दिये गये कि निमार्णाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की 40 ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करें तथा एक माह के अन्दर योजनाओं को पूर्ण कराया जाये, और जैसे-जैसे योजना पूर्ण होती जाये, उस योजना की जांच कर आधार कार्डकी सूची और फोटोग्राफ के साथ गणना उपलब्ध करायी जाये।

अंत में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देश दिये गये कि जल निगम, DPMU, TPI तथा ISA के कार्यों की नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुये जल जीवन मिशन सम्बन्धी कार्यों को गुणवत्तापूर्वक एवं समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(दिनेश कुमार)

अधिशासी अभियन्ता,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

लखनऊ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

पत्रांक 828/W-3/998/अधि०अभि०जलनिगम/बैठक कार्यवृत्ति/2022-23

दिनांक : 14-11-2022

प्रतिलिपि : -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, लखनऊ।
4. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
5. जनपद हेतु नामित टी.पी.आई./डी.पी.एम.यू./समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

लखनऊ।

Executive Engineer
and C.D.

U.P. Jal Nigam (Rural) Lucknow